न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 81/2020 वाद

देवीलाल पिता ऊंकार जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0

– वादी

//बनाम//

1. ऊंकार पिता मोती जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. नारायण पिता ऊंकार जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. शांति पुत्री ऊंकार जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
4. प्यारी पुत्री ऊंकार पत्नि बोतलाल जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
5. केशी पुत्री ऊंकार पत्नि रमेश जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
6. कमली पुत्री ऊंकार पत्नि प्रभु जाति माली आयु वयस्क, निवासी मण्डागुलफरोशान तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण, उपस्थित

श्री नाहरसिंह छाजेड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 24.08.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा मण्डागुलफरोशान तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 26 की आराजी नं. 316, 317, 338, 339, 353, 545, 547, 548, 549, 599, कुल कीता 10 कुल रकबा 4.7700 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 27 की आराजी नं. 343 रकबा 0.0100 हैटेयर गे.मु. चाह, आराजी नं. 344 रकबा 0.0400 [illegible] कुल कीता 2 कुल रकबा 0.0500 हैक्टैयर भूमि स्थित है जो वादी [illegible] दादा मोती के जमाने से चली आ रही है। मोतीजी का देहान्त आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हो गया है। मोती के वैध उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 से [illegible] पिता प्रतिवादी नं. 1 ऊंकार जी है। ऊंकार के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 व चार पुत्रियां प्रतिवादी नं. 3 से 6 है। वादग्रस्त आराजियात वादी के दादा मोती के जमाने से चली आ रही है वादग्रस्त आराजियात में वादी का जन्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

से अधिकारी होकर बर्थ इन्ट्रेस्ट है। वादग्रस्त आराजियात का वादी के पिता प्रतिवादी नं. 1 द्वारा आज से करीब 18 वर्ष पूर्व मौखिक रूप वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 के मध्य आपसी सहमति से हिस्से अलग अलग कर दिये है। वादग्रस्त खाता नं. 26 की आराजियात में वादी का 553/1406 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 2 का 553/1406 हक हिस्सा रखा एवं प्रतिवादी नं. 1 ने अपने हिस्से में 4/37 हक हिस्सा रखा तथा प्रतिवादी नं. 3 से 6 प्रतिवादी नं. की पुत्रियां है तथा प्रतिवादी नं. 3 अपने पीहर ग्राम मण्डागुलफरोशान में ही रहती है इसलिए प्रतिवादी नं. 3 को वादग्रस्त आराजियात में 2/19 हक हिस्सा दिया गया है तथा प्रतिवादी नं. 4 से 6 को प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जो भी हक हिस्सा देना था वह सभी हक हिस्सा उनके विवाह के समय प्रतिवादी नं. 1 द्वारा दे दिया। इसलिए वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं. 4 से 6 का कोई हिस्सा नहीं रहा हैं तथा प्रतिवादी नं. 4 से 6 ने अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में मौखिक रूप से हक त्याग कर दिया है इसलिए वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं. 4 से 6 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है तथा खाता संख्या 27 की आराजियात में प्रतिवादी नं. 1 के 1/3 हिस्से में वादी का 1/2 हिस्सा यानी 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हक हिस्सा है दिगर प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात खाता सं. 27 में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। उक्त हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 3 अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजियात में उपरोक्त वर्णित अनुसार वादी का हक हिस्सा घोषित करा खातेदारी में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये है इसलिए मजबूरन वादी का यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त खाता संख्या 26 की आराजियात में वादी का 553/1406 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 4/37 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 553/1406 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 2/19 हक हिस्सा एवं खाता संख्या 27 की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में वादी का 1/2 हिस्सा यानी 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हक हिस्सा घोषित करते हुए वादी का दावा डिक्री किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष ने राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली [illegible] गया।

बहस सुनी गई। मिसल [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् [illegible] ग्राम मण्डागुलफरोशान की खाता संख्या 26 एवं 27 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं । जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 उंकार के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजीनामें के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2031-33 ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:49 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)
Scanned with CamScanner

ण्डागुलफरोशान की खाता संख्या 113 व 114 एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि पूर्व में मोती पिता दोला माली के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती है। प्रश्नगत भूमि ऊंकार को अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुई होना साबित होता है। राजीनामें के साथ हक त्याग समझौता पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी नं. 4 से 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। राजीनामें अनुसार मौजा मण्डागुलफरोशान की खाता संख्या 26 की आराजी नं. 316, 317, 338, 339, 353, 545, 547, 548, 549, 599, कुल कीता 10 कुल रकबा 4.7700 हैक्टेयर, में वादी का 553/1406 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 1 का 4/37, प्रतिवादी नं. 2 का 553/1406 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 3 का 2/19 हक हिस्सा तथा खाता संख्या 27 की आराजी नं. 343 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे.मु.चाह, आराजी नं. 344 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.0500 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी नं. 1 के 1/3 हिस्से में वादी का 1/2 हिस्सा यानी 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हक हिस्सा घोषित कराना चाहते हे। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता प्रतिवादी नं. 1 ऊंकार के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि को पुश्तैनी स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार हक हिस्सा दिये जाने हेतु सहमत है। वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा मण्डागुलफरोशान की खाता संख्या 26 की आराजी नं. 316, 317, 338, 339, 353, 545, 547, 548, 549, 599, कुल कीता 10 कुल रकबा 4.7700 हैक्टेयर, में वादी का 553/1406 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 1 का 4/37 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं. 2 का 553/1406 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नं. 3 का 2/19 हक हिस्सा तथा खाता संख्या 27 की आराजी नं. 343 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु.चाह, आराजी नं. 344 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल कीता 2 कुल रकबा 0.0500 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी नं. 1 के 1/3 हिस्से में वादी का 1/2 हिस्सा यानी 1/6 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 2 का 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रखा जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 24.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:49 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner